संख्या-19/2017/आर-532/26-3-2017-50(एस.एन.डी.)/03

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 6 मार्च 2017

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं बाइसिकिल अनुदान योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-326/10/ज.जा.वि./2016-17, दिनांक-27-02-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत संचालित आयोजनागत पक्ष की योजना **"अनुसूचित जनजाति के छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं बाइसिकिल अनुदान"** में आय-व्ययक प्राविधान रूपया-80.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपया-7,66,000/-(रूपये सात लाख छाछठ हजार मात्र) में से जनपदों की मांग के अनुसार पूर्णांक रूप में रूपया-2,00,000/-(रूपया दो लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उक्त योजना के अंतर्गत यूनीफार्म एवं लेडीज बाइसिकिल की स्वीकृति शासनादेश संख्या-यू.ओ.-337/26-ब0प्र0-2004-50(एस.एन.डी.)/2003, दिनांक-30-6-2004 के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-1) पर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त इस हेतु जारी दिशा-निर्देश (संलग्नक-2) तथा संशोधित शासनादेश संख्या-660/26-ब.ज./2009-50(एस.एन.डी.)/08, दिनांक-27.11.2009 एवं शासनादेश संख्या-864/26-3-2014-50(एस.एन.डी.)/2003 दिनांक-09.10.2014 में वर्णित व्यवस्थानुसार शिक्षा सत्र 2016-2017 की छात्राओं के लिए किया जायेगा। जिन छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हो जायेगा, उन्हें इस योजना से पुनः लाभान्वित नहीं किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय यूनीफार्म एवं बाइसिकिल अनुदान हेतु निर्गत दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इससे पूर्व, पूर्व में स्वीकृत कोई भी धनराशि पी0एल0ए0/ बैंक/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष धनराशि जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग कर लिया गया है तथा व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4) वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी/स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात ही अवशेष अवधि की स्वीकृत का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की तत्काल व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और पी0एल0ए0, बैंक, डाकखानों आदि खातो में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-12-अनुसूचित जनजाति के छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं बाइसिकिल अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-19/2017/आर-532(1)/26-3-2017-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
3- राज्य योजना आयोग 1/2/बजट प्रकोष्ठ।
4- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-3, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी एवं बिजनौर।
6- गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।